भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3477

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)

गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगार

3477. श्री राजेश वर्माः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्रीमती शांभवीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आधुनिक अर्थव्यवस्था में गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए, देश में उनकी महत्वपूर्ण और बढ़ती संख्या का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है और यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और वृद्धावस्था सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान करने के लिए दूरदर्शी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा कार्यढाँचा तैयार करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म के सहयोग से गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों को उचित आय, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार प्लेटफ़ॉर्म कामगारों की दीर्घकालिक करियर संभावनाओं और आय-अर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट कौशल विकास पहलों की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गिग अर्थव्यवस्था के लिए एक सहायक इकोसिस्टम बनाने और उक्त अर्थव्यवस्था द्वारा प्राप्त होने वाले लचीलेपन से संतुलन बनाने के लिए सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था" शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, देश में गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन हो

जाने का अनुमान है। यह रिपोर्ट https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-06/25th_June_Final_Report_27062022.pdf पर उपलब्ध है।

पहली बार, 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा और उससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

उक्त संहिता में जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए समुचित सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान है।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट घोषणा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (प्लेटफॉर्म कामगारों) के गिग कामगारों के कल्याण के लिए कई प्रमुख उपायों जैसे ई- श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण करना, पहचान पत्र जारी करना और आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना(एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल लाभ विस्तारित किए जाने की घोषणा की है।

*****